03/9/24

पक्षकारों के विद्वान अभिभाषकों
पक्षकार व वकील उपस्थित
पत्रावली पेश

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन मनन किया गया। प्रस्तुत वाद व पत्रावली के अवलोकन से T.I. पत्रावली / अंतरिम T.I. दिये जाने का औचित्य सिद्ध प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना-पत्र आज्ञापी प्रतिवादान एतद्द्वारा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अरुण कुमार शर्मा
सहायक कलक्टर
बाँसर लेक (जिला-जयपुर)